

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर०

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रमाणों के अभाव में उक्त पत्र को अमान्य माना जा रहा है।
 आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रमाणों के अभाव में उक्त पत्र को अमान्य माना जा रहा है।
 आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रमाणों के अभाव में उक्त पत्र को अमान्य माना जा रहा है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

क्रमांक : राजस्व / 2020 / 53/23

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदन पत्र का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशपा की जाती है / नहीं की जाती है।

28/4/23
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुंदेल (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :- 28/4/23

मु.नं. 53/23

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	गुढागौडजी	2025-28	80	अमलदार प. बुद्धा दि/3 भात जमाबन्दी सं. 58 तहसीलदार	अमलदार प. बुद्धा दि/3 भात जमाबन्दी सं. 58 तहसीलदार

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

प्रशासनिक

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 53/23

दिनांक :- 28/4/23

- प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
 2. प्रार्थी / प्रार्थीया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

